राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(17)नविवि/ ।।/2008 जयपुर दिनांकः– 22 MAY 2014

आज्ञा

राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंषा पर राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के नियम–22 के प्रावधानान्तर्गत सहायक नगर नियोजक (पी0आर0) के पद पर प्रथमतः 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियुक्त किये जाने के आदेश एतद्द्वारा प्रसारित किये जाते हैः–

क्र. सं.	वरीयता क्रमांक	नाम व पता	जन्म तिथि	प्रवर्ग	जिस प्रवर्ग में चयन किया गया है	पदस्थापन स्थान
1.	1	श्री सर्वेश्वर शरण व्यास पुत्र श्री मदन लाल व्यास 17, लक्ष्मीनारायण नगर, सविना, उदयपुर, राजस्थान।	05.08.1979	सामान्य	सामान्य (सामान्य)	जिला नगर नियोजन इकाई, झालावाड़
2.	2	श्री पवन कुमार काबरा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र काबरा 144, मेन सेक्टर, शास्त्रीनगर, भीलवाडा, राजस्थान पिन नं. 311001	11.10.1981	सामान्य	सामान्य (सामान्य)	जिला नगर नियोजन इकाई, चित्तौडगढ़
3.	3	श्री मुकेश जांगिड पुत्र श्री छोगा लाल गांव भादसोडा का खेडा, पोस्ट भादसोडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान पिन नं. 312024	29.10.1980	पिछड़ा वर्ग	सामान्य (सामान्य)	निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
4.	4	श्री वीरेन्द्र सिंह परिहार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह परिहार 12–बी, दैत्यमगरी, सहेली मार्ग, उदयपुर पिन नं. 313001	15.08.1981	सामान्य	सामान्य (सामान्य)	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन उदयपुर व जिला नगर नियोजन इकाई डूंगरपुर का अतिरिक्त प्रभार
5.	5	सुश्री प्रीति शर्मा पुत्री स्व. श्री राधा किशन शर्मा मकान नं. 355/26, मूलचन्द हलवाई की गली, रामगंज, अजमेर, राजस्थान पिन न. 305001	28.02.1983	सामान्य (महिला)	सामान्य (महिला)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6.	6	श्री सैयद वसीम अख्तर पुत्र श्री सैयद जमालुदीन वी.पी.ओ. खिरोड तहसील, नवलगढ़, जिला झून्झुनु, राजस्थान।	25.08.1985	पिछडा वर्ग	पिछडा वर्ग (सामान्य)	जिला नगर नियोजन इकाई, जैसलमेर

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के दौरान इन्हें रुपये 16800/– मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि को सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही उन्हें सहायक नगर नियोजक (पी0आर0) पद का नियमित वेतनमानः रनिंग पे–बैण्ड पी.बी.–3; 15600–39100 (ग्रेड–पे 5400) एवं अन्य सभी संबंधित परिलाभ देय होंगे।

कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्रादेश क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 एवं 20.04.2004 के अनुसरण में उपरोक्त नियुक्तियों के संबंध में दिनांक 01.01.2004 से पूर्व के कर्मचारियों पर लागू राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 लागू नहीं होंगे और इनके स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 लागू होंगे।

सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी निम्नांकित शर्तों की अनिवार्य रूप से पालना के साथ ही अपनी प्रारंभिक उपस्थिति कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर में दिनांक **24.06.2014** तक प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उक्त आदेश निरस्त माने जायेंगे। कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर में उनके दस्तावेजों की जांच होने के पश्चात् इनको पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देनी होगी।

1. यदि इस समय कोई अभ्यर्थी पूर्व से ही केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा में स्थाई रूप से नियुक्त है तो अपने मूल विभाग की अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

2. कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियमों के अधीन यथाविहित स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं पुलिस संबंधित जांच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
3. कार्यभार संभालने से पूर्व अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अपने मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग आदि के प्रमाण–पत्रों से जन्म तिथि/शैक्षणिक योग्यता/जाति आदि का सत्यापन कराना होगा।
4. पदग्रहण करने के पूर्व दो उत्तरदायी व्यक्तियों से जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार न हो से चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. सेवा पदग्रहण करने की तारीख से प्रारम्भ होगी। कार्यग्रहण एवं पदस्थापन हेतु की गई किसी भी प्रकार की यात्रा के लिए विभाग द्वारा कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
6. अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ निहित प्रारूप में लेनी होगी।
7. नियुक्ति समय–समय पर यथा संशोधित सरकारी नियमों द्वारा शासित होगी।
8. सेवायें किसी भी ओर से एक महीने का नोटिस दिये जाने पर समाप्त की जा सकेगी।
9. ऐसा विवाहित अभ्यर्थी जिसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो, सेवा का पात्र नहीं होगा। इस विषय में पद ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी उक्त शर्तों का अपना शपथ–पत्र संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
10. यदि आप विवाहित है तो–(क) क्या आपके एक से अधिक पत्नियां है? (ख) स्त्री उम्मीदवार के लिए क्या आपने ऐसे पति से विवाह किया है जिसके एक से अधिक पत्नियां जीवित है? यदि नहीं है तो आपको इस संबंध में शपथ नामा देना होगा। यदि एक से अधिक पत्नियां है, तो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा तथा स्त्री उम्मीदवार की दशा में यदि उसने ऐसे पति से विवाह किया है, जिसके एक से अधिक पत्नियां जीवित है, तो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।
11. ऐसा विवाहित अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् 2 से अधिक सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
    परन्तु 2 से अधिक सन्तानों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान उसकी सन्तानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती।
    परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक सन्तान पैदा हो जाती है, वहां सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जायेगा।
    इस विषय में पद ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी उक्त शर्तों का अपना शपथ–पत्र संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त नियुक्तियां एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18092/2013 एवं 13115/2013 के निर्णयों के अध्यधीन होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. रश्मि शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ.7(19)भर्ती/गोपनीय/2011–12/505 दिनांक 26.03.2014 के क्रम में।
5. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित जिला कलक्टर झालावाड, चित्तौडगढ़, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर एवं जैसलमेर।
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर।
10. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर/उदयपुर/डूंगरपुर/जैसलमेर।
11. संबंधित सहायक नगर नियोजक (पीआर) श्री/श्रीमती/सुश्री..... द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।